न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 05 / 2024

प्रार्थी

सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री जसवंतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितों का वास, लोरडी पंडितजी तहसील मण्डोर जिला जोधपुर हाल प्रो. श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार एण्ड बेकर्स पालडी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. श्री महावीरसिंह देवड़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 30.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को सुश्री अम्बिका राणावत, जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार एण्ड बेकर्स पालडी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीरसिंह देवडा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपरिथिति दी गई एवं जबाव पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही की बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 20.09.2024 को सुश्री अम्बिका राणावत, जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार एण्ड बेकर्स पालडी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर [illegible] मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए, जिनका उपयोग [illegible] पर मिठाई / नाश्ता इत्यादि बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:57:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीरसिंह देवड़ा द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि दिनांक 20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी श्री प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को गलत रूप से कब्जे सरकार लिया गया है। यह है कि श्री ठाकरीराम पुत्र श्री केवलराम जी रावल निवासी पालडी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही द्वारा अपने घरेलू गैस सिलेण्डर भरने के लिए पालडी एम बस स्टैण्ड के पास जोधपुर मिष्ठान भण्डार एण्ड बेकर्स पालडी एम पर रखा था, जिसमें एच.पी. गैस सिलेण्डर की गाडी शिवगंज से हर शुक्रवार को पालडी एम बस स्टैण्ड पर आती है, तब गैस सिलेण्डर खाली जमा कर भरी हुई गैस सिलेण्डर लेते है। उक्त गाडी करीब 3 से 4 बजे के बीच गैस सिलेण्डर लेकर आती है, जिसका चालक श्री भगाराम देवासी निवासी पालडी एम गाडी लेकर आता है, जिसमें एक टंकी खाली थी और दूसरी टंकी में 2.5 किलोग्राम गैस भरी हुई थी। यह कि प्रार्थी द्वारा गैस टंकी को गैस चूल्हे पर कोक जोडकर दुकान पर फोटो खींचा और झूठी कार्यवाही करवाई, जबकि जो गैस सिलेण्डर रखे थे, वो श्री ठाकरीराम पुत्र श्री केवलराम रावल निवासी पाडडी एम के थे, जो पूर्व में परिचित व्यक्ति होने से दुकान पर खाली गैस टंकी रखी थी। यह कि अप्रार्थी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया तथा न ही जांच के वक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग हो रहा था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जब्त किए गए सिलेण्डरों को पुनः दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा दो 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान की जांच करने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जो वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर श्री ठाकरीराम पुत्र श्री केवलराम रावल निवासी पाडडी एम के थे, जो पूर्व में परिचित व्यक्ति होने से दुकान पर खाली गैस टंकी रखी थी। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इसके सम्बन्ध में उक्त गैस [illegible] प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कब्जे सरकार लिए गए [illegible]लेण्डरों की गैस डायरी बाद में प्रस्तुत की है। अतः उक्त प्रकरण [illegible] कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरी कब्जे [illegible] सिलेण्डरों की ही है, जिससे उपरोक्त गैस सिलेण्डर श्री ठाकरीराम पुत्र श्री [illegible]राम रावल निवासी पालडी एम के मालिकी स्वामित्व के होने पर संदेह उत्पन्न होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:57:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध सद्भावनापूर्ण रूख अपनाते हुए एवं संदेह का लाभ देते हुए प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गए उक्त दोनों 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डरों को उनके मालिकी का होने से अप्रार्थी को स्थाई रूप से लौटाए जाने के आदेश दिये जाते है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी सिरोही को निर्देश दिए जाते है कि उपभोक्ता को दिए गए गैस सिलेण्ड़र की रसीद इरा न्यायालय में प्रस्तुत कर गैस कम्पनी से उपभोक्ता की डायरी में अंकन कराकर फोटोकॉपी प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:57:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner